237

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0- एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14415/1754 दिनांकः– 30.05.14

10 JUN 2014

सेवा में,
सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महोदय,

नगर निगम, मुंगेर के वर्ष 2012–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 687/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर निगम, मुंगेर
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.– 687 / 13–14
अवधि– 2012–13

1. प्रस्तावनाः–

मुंगेर, नगर निगम के वर्ष 2012–13 के लेखाओं का नमुना लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, समाजिक प्रक्षेत्र सह स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना के एक परीक्षा दल द्वारा दिनांक 15.04.13 से 11.05.13 की अवधि मे किया गया।

2. प्रशासन :–

I. मेयर

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती कुमकुम देवी	01.04.12 से 31.03.13

II. उपमेयर

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुनील राय	01.04.12 से 31.03.12
2.	बेबी चनकी	01.04.12 से 31.03.13

III. नगर कार्यपालक पदाधिकारी

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री भानु प्रकाश	01.04.12 से 03.08.12
2.	श्यामानन्द भा	04.08.12 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र :–

लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत एवं नमूना जॉच किये गये पंजियो एवं अभिलेखो की सूची परिशिष्ट –I में तथा अप्रस्तुत अथवा असंधारित पंजियो एवं अभिलेखो की सूची परिशिष्ट –II में दिया गया है।

4. आंतरिक लेखापरीक्षाः–

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम 20, 30 तथा 66 तथा बिहार नगरपालिका लेखा (रिकवरी ऑफ टैक्सेज नियमावाली 1951 के नियम 30, 37 तथा 39 में पदाधिकारियों द्वारा आंतरिक जॉच के कुछ ऐसे उपबंध हैं जिससे निगम लेखा के संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सकता है। अभिलेखो की जॉच के क्रम मे पाया गया कि उक्त जॉच प्रकिया का कार्यान्यवन निगम प्रशासन द्वारा नही किया गया जिससे अनेक त्रुटियॉ व अनियमितताएँ दृष्टिगोचर हुई जिनका विवरण अग्रलिखित है। अतः भविष्य में पदाधिकारियों द्वारा आन्तरिक जॉच सुनिश्चित की जाय जिससे अनियमितताओं की पुनरावृति न हो तथा त्रुटियों का परिमार्जन हो सके।

5. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन :–

लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद नगर निगम द्वारा कोई अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस प्रतिवेदन सहित सभी लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन नगर निगम बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात, यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

6. **लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ :–**

क्र0 सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि (लाख में)
1	10	निधि का अवरोधन	1084.96
2	11	प्रशासनिक भवन की राशि खर्च नहीं किया जाना	30.29
3	12	बी.आर.जी.एफ मद से विचलन	1.04
4	13	सरकारी राजस्व की चोरी	1.53
5	16	संविदा पर मानदेय कर्मी पर अनियमित भुगतान	1.41
6	18	कम/नहीं जमा	0.23
7	19	सरकारी भवनों पर बकाया किराया	998.14
8	20	विभिन्न दुकानों पर बकाया किराया	10.36
9	21	समायोजन के दुकान किराया की पूर्ण वसूली नहीं होने से राजस्व क्षति	2.50
10	22	बढाये गये किराये को लागू नहीं किये जाने के कारण राजस्व क्षति	13.20
11	24	बन्दोवस्ती की राषि जमा नहीं होने से राजस्व क्षति	02.44
12	25	प्राइवेट बस स्टैण्ड की बन्दोवस्ती नहीं होने से राजस्व क्षति	17.23
13	26	सुरक्षित जमा का गलत निर्धारण होने से राजस्व क्षति	6.50
14	27	स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने से राजस्व क्षति	2.54
15	32	एकल निविदा पर अनियमित व्यय	25.00
16	33	विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं	2.59

7. **वित्तीय अधिदृश्य (पी.एल.खाता)**

मुंगेर, नगर निगम को राज्य सरकार एवं आंतरिक संसाधनों से आय प्राप्त होती थी। वित्तीय वर्ष 2012–13 मे नगर निगम की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित थी

(क) पी0/एल0 खाता रोकड़ बही

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	87783217.49
2	प्राप्तियाँ –	
I.	स्वयं के आय स्त्रोत	41142273.00
II.	अनुदान	
	(क) चतुर्थ राज्य वित्त –	59154118.00
	(ख) मास्टर प्रषिक्षण (जनसंख्या)	11000.00
	(ग) प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार	675000.00
	(ध) 13वी वित्त	19442000.00
	(ड.) जलापूर्ति	50000000.00
	(च) अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	5678380.00
	(छ) पथ के निर्माण/जीर्णोद्धार	8311221.00
	(ज) मास्टर नियोजन हेतु	15000.00
	(झ) जलापूर्ति (एस.सी/एस.टी)	5454460.00
	(ञ) नगर प्रबंधक का वेतन	240000.00
	(ट) अन्य	3894689.00
	वर्ष की प्राप्ति	194018141.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	281801358.49
4	व्यय	

	(क) स्थापना एवं अन्य	67782003.00
	(ख) कबीर अन्तयेष्टि योजना	24000.00
	(ग) 12वी वित्त	1027967.00
	(घ) पार्षद भत्ता	110900.00
	(ड.) नगर निगम का जीर्णोद्धार	727322.00
	(च) टी0/डब्लू. हथिया पम्प	172655.00
	(छ) ठोस कचरा प्रबंधन	2368249.00
	(ज) नगर निगम चुनाव	33465.00
	(झ) विद्युत विपत्र	4654886.00
	(ञ) नगर प्रबंधक का वेतन	226451.00
	(ट) चतुर्थ राज्य वित्त	21644265.00
	(ठ) स्थानान्तरणः–	
	1. जलापूर्ति के लिए पी.एच.ई.डी को	50000000.00
	2. 13वी वित्त(एस.बी.आई खाता सं0. 30701280278)	43637150.00
	3. चतुर्थ राज्य वित्त (एस.बी.आई.खाता सं0. 32701274286)	29033638.00
	4. चोरी के कारण हानि	152700.00
5	कुल व्यय	221595651.00
6	अन्त शेष (3–5)	60205707.49

(ख) एस.जे.एस.आर.वाई रोकड़ बही
(केनरा बैंक खाता सं0.0141101009946)

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	4154917.00
2	प्राप्तियाँ –	
	(क) अनुदान	10000000.00
	(ख) ब्याज	80122.00
	(ग) अन्य	शुन्य
	वर्ष की प्राप्ति	10080122.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	14235039.00
4	व्ययः–	
	(क) योजना	669971.00
	(ख) अन्य	शुन्य
5	कुल व्यय	669971.00
6	अन्तशेष (3–5)	13565068.00

(ग) एम.एल.ए/एम.एल.सी फण्ड
(केनरा बैंक खाता सं0 –0141101009634)

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	1935107.00
2	प्राप्तियाँ –	
	(क) अनुदान	शुन्य
	(ख) ब्याज	125187.00
	(ग) अन्य	477500.00
	वर्ष की प्राप्ति	602687.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	2537794.00
4	व्ययः–	
	(क)सुरक्षित जमा वापसी	50000.00
6	अन्तशेष (3–4)	2487794.00

(घ) एम.पी.फण्ड रोकड़ बही
(यूकों बैंक खाता सं0 –04280100011202)

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	354816.00
2	प्राप्तियाँ –	
	(क) अनुदान	शुन्य
	(ख) ब्याज	7076.00
	वर्ष की प्राप्ति	7076.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	361892.00
4	व्यय	शुन्य
6	अन्तशेष (3–4)	361892.00

(ड.) बी.आर.जी.एफ
(यूकों बैंक खाता सं0 –04280110010020)

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य
2	प्राप्तियाँ –	
	(क) अनुदान	3429724.00
	(ख) ब्याज	26721.00
	(ग) अन्य	शुन्य
	वर्ष की प्राप्ति	3456445.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	3456445.00
4	व्यय	शुन्य
6	अन्तशेष (3–4)	3456445.00

(च) बी.आर.जी.एफ
इलाहाबाद बैंक खाता सं0 –50079158135 एवं
सी.बी.आई खाता सं03113772446)

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	56794796
2	प्राप्तियाँ –	
	(क) अनुदान	शुन्य
	(ख) ब्याज	1477673.00
	(ग) अन्य	शुन्य
	वर्ष की प्राप्ति	1477673.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	58272469.00
4	व्यय	
	(क) योजना	1547771.00
	(ख) सुरक्षित जमा वापसी	1091477.00
	(ग) हैण्ड ट्रॉली क्रय	103642.00
5	कुल व्यय	2742890.00
6	अन्त शेष (3–5)	55529579.00

(छ) 13वीं वित्त आयोग
स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया खाता सं0.30701280278

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य
2	प्राप्तियाँ –	
	(क) पी.एल से स्थानान्तरण	43637150.00
	(ख) ब्याज	शुन्य
	(ग) अन्य	शुन्य
	वर्ष की प्राप्ति	43637150.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	43637150.00
4	व्यय	
	(क) ठोस कचरा प्रबंधन (सफल एजुकेषन को अग्रिम)	1000000.00
	(ख)विद्युत विपत्र	15000000.00
	(ग) अन्य	शुन्य
5	कुल व्यय	16000000.00
6	अन्त शेष (3–5)	27637150.00

(ज) एन.एस.डी.पी
(बैंक ऑफ इण्या चालु खाता सं0 –71)

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	8903.00
2	प्राप्तियाँ –	शुन्य
3	कुल प्राप्तियॉ	8903.00
4	व्यय	शुन्य
6	अन्त शेष (3–4)	8903.00

(झ) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया–32701274286

क0सं0	विवरणी	राशि
1	प्रारम्भिक शेष	शुन्य
2	प्राप्तियाँ–पी.एल से स्थानान्तरण	50677903.00
3	कुल प्राप्तियॉ	50677903.00
4	व्यय–विद्युत बोर्ड, होल्डिंग टैक्स	6000000.00
6	अन्त शेष (3–4)	44677903.00

टिप्पणी–

1. पी.एल खाता रोकड. बही के वित्तीय अधिदृश्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुंगेर, नगर निगम का आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय, स्थापना एवं अन्य व्यय से काफी कम है। जो नगर निगम की दयनीय आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

2. पी.एल खाता रोकड. बही के प्रारंभ, मासिक एवं अंत में मदवार संक्षिप्त विवरणी तैयार नहीं किया गया था। इस कारण मदवार अवशेष राशि का पता नहीं चल सका।

3. एस.जे.एस.आर.वाई के बैंक खाता के अनुसार दिनांक 31.01.13 को ब्याज ₹165389.00 प्राप्त हुआ था लेकिन रोकड. बही में इन्द्रराज नहीं किया गया था परिणामस्वरूप ₹165389.00 रोकड़ बही में कम हो गया। आय– व्यय में योजना सं0 इत्यादि का उल्लेख नहीं था।

4. बी.आर.जी.एफ मद के लिए दो रोकड़ बही को संधारण किया गया था जिसमें से एक रोकड़ बही के लिए सरकार के एक मद के लिए दो बैंक खाता यथा इलाहाबाद बैंक एवं सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं दूसरे रोकड़ बही के लिए यूको बैंक से संव्यवहार किया जा रहा था। इस प्रकार एक मद के लिए कुल तीन (उपर्युक्त वर्णित) सरकारी बैंक खाता संव्यवहारित था, जो सरकार के एक मद के लिए एक सरकारी बैंक खाता रखने के दिशानिर्देश के विरूद्ध था। अतः एक मद के लिए एक ही सरकारी बैंक खाता को रखा जाय। बी.आर.जी.एफ मद के सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया रोकड़ बही के प्राप्ति भाग में कुल ₹6587.00 (वर्ष 2010–11 ₹6585.00 एवं 2011–12 का ₹2.00 छुटा हुआ) का इन्द्राज नहीं कर सकने के कारण रोकड. बही ₹6587.00 बैंक से कम हो गया। रोकड़ बही में व्यय भाग में योजना सं0, चेक सं0 आदि का उल्लेख नहीं किया गया था।

5. एन.एस.डी.पी मद के लिए बैंक ऑफ इण्डिया में चालू खाता रखा गया था। इस कारण कोई बैंक ब्याज की प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः बैंक खाता बचत खाता में रखा जाय।

6. उपर्युक्त वर्णित किसी भी रोकड. बही का बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

(ख) अन्तशेष

क्र. सं.	योजना / मद	अन्तशेष (राकड़बही)	अन्तशेष (पासबुक)	अन्तर	बैंक का नाम	खाता सं0	अभियुक्ति
1	पी.एल.खाता	850205707.49	अनुपलब्ध	ज्ञात नहीं	ट्रेजरी	पी.एल.ए– 49	–
2	बी.आर.जी.एफ	55529579.00	(1)53679128.00 (2)18302249.00	16451798	(1)इलाहाबाद बैंक (2)सेंट्रल बैंक	(1)50079158135 (2) 3113772446	
3	बी.आर.जी.एफ	3456445.00	3456445.00	शून्य	यूको बैंक	04280110010020	
4	एस.जे.एस. आर. वाई.	13565068.00	13730457.00	165389	केनरा बैंक	0141101009946	
5	13वी वित्त	27637150.00	42637150.00	15000000.00	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	30701280278	
6	चतुर्थ राज्य वित्त	44677903.00	44677903.00	शून्य	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	32701274286	
7	विधायक मद	2487794.00	2487794.00	शून्य	केनरा बैंक	0141101009634	
8	सांसद मद	361892.00	361892.00	शून्य	यूकों बैंक	04280100011202	
9	एन.एस.डी.पी.	8903	219832.00	210929.00	बैंक आफ इंडिया	चालू खाता–71	

230

अंकेक्षण आपत्तियों उपर्युक्त (क एवं ख) के लिए पी.एल. खाता रोकड़ बही के संबंध में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि आवश्यक त्रुटियां का निराकरण कर लिया गया है एवं भविष्य में अनुपालन किया जायेगा तथा अन्य रोकड़ बहियों के संबंध में जवाब दिया गया कि आवश्यक त्रुटियों का निराकरण करने की कार्रवाई की जा रही है।

अतः उपर्युक्त (क एवं ख) अंकेक्षण आपत्तियों का बिन्दुवार अनुपालन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय तथा साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि आंतरिक स्रोत से प्राप्त आय को बढ़ाने के लिए नगरपालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कदम उठाया जाए।

उपर्युक्त रोकड़ बहियों के बैंक पासबुक एवं रोकड़ बही के अन्तशेष के अन्तरों का बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया जाए।

8. वार्षिक लेखा तथा वजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा एवं धारा 84 के अनुसार नगरपालिका बजट प्राक्कलन एवं सशक्त स्थायी समिति की यदि कोई अनुशंसा हो तो उस पर विचार करेगी एवं 15 मार्च तक नगरपालिका ऐसे परिवर्तनों के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। अंगीकृत बजट नगर निगम के मामलों में राज्य सरकार को भेजा जाएगा एवं राज्य सरकार 31 मार्च परिवर्तन/बिना परिवर्तन के साथ नगरपालिका को वापस लौटा सकेगी।

नगर निगम, मुंगेर के वर्ष 2011–12 के बजट संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 18.04.12 को सशक्त स्थायी समिति एवं दिनांक 02.05.12 को निगम बोर्ड की बैठक में बजट को पास किया गया लेकिन राज्य सरकार को नहीं भेजा गया।

वर्ष 2012–13 में 06 करोड़ 37 लाख 35 हजार 03 सौ 56 रूपये घाटे का बजट दर्षाया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है–

पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्ति	182674914.00
पूंजीगत एवं राजस्व व्यय	246414270.00
घाटे का बजट	63739356.00

बजट एवं वार्षिक लेखा (दिसम्बर 2012 तक) के नमूना जांच में निम्न तथ्य पाए गए:–

आय			
क्र0सं0	शीर्ष	बजट में प्रावधान	वास्तविक प्राप्ति (दिसम्बर 2012 तक)
1	शिक्षा सेस बकाया	शुन्य	1483735.06
2	स्वास्थ्य सेस बकाया	शुन्य	1483735.06
3	खतरनाक व्यवसाय	75000.00	17930.00
4	मोबाइल टावर	1560000.00	शुन्य
व्यय			
1	विद्युत विपत्र का भुगतान	50000.00	4654886.00
2	फिटकिरी पर व्यय	3600000.00	190678.00
3	यात्रा भत्ता पर व्यय	110000.00	शुन्य

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि बजट वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं है साथ ही बजट बनाने में तय समयसीमा का पालन नहीं किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में बजट बनाते समय सुझाये गये तथ्यों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जायेगा।

अतः भविष्य में बजट बनाते समय उपर्युक्त आवश्यक प्रकिया का पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

9. सरकारी अनुदान

पी.एल. खाता, बी.आर.जी.एफ, एस.जे.एस.आर.वाई रोकड़ बही, चालान बुक एवं अनुदान संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012–13 के दौरान कुल ₹167098993.00 का अनुदान विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था, निम्न प्रकार से हैं–

क्र0 सं0	स्वीकृतादेश पत्रांक व तिथि	रोकड. बही तिथि	राशि	मद / उददेश्य
1	न0वि0 एवं आ0वि0, पटना–32 दिनांक 23.08.12	30.11.12	5454460.00	पेय जलापूर्ति (एस.सी)
2	––तथैव–– 35 दिनांक 28.11.12	02.01.13	50000000.00	जलापूर्ति योजना
3	––तथैव–– 113 दिनांक 31.10.12	12.11.12	10000000.00	एस.जी.एस आर वाई
4	––तथैव–– 01 दिनांक 04.04.12	31.08.12	6167000.00	13वी वित्त आयोग
5	––तथैव–– 36 दिनांक 31.08.12	06.10.12	3208000.00	
6	––तथैव–– 29 दिनांक 19.07.12	06.10.12	10067000.00	
7	––तथैव–– 116 दिनांक 14.03.13	25.03.13	675000.00	प्रषासनिक भवन का जीर्णोद्धार
8	––तथैव–– 108 दिनांक 12.03.13	29.03.13	9894311.00	पथ के निर्माण / जीर्णोद्धार
9	––तथैव–– 88 दिनांक 04.03.13	19.03.13	59154118.00	चतुर्थ राज्य वित्त
10	––तथैव–– 43 दिनांक 19.09.12	30.11.12	240000.00	नगर प्रबंधक का मानदेय
12	ए.जी.पी.ए.–17 स्टाम्प प्रा0–1129 दिनांक 23.03.12	20.09.12	4219760.00	अतिरिक्त मुदांक शुल्क
13	––––––तथैव–– ––––1136 दिनांक 23.03.12	21.09.12	1458620.00	
14	डी0डी0सी0 पत्रांक–216 दिनांक 20.04.12	07.08.12	1658727.00	बी.आर.जी.एफ
15	––तथैव–– 560 दिनांक 06.11.12	24.01.13	51610.00	
16	––तथैव–– 52 दिनांक 05.02.13	22.02.13	1670777.00	
17	––तथैव–– 70 दिनांक 05.02.13	22.02.13	48610.00	
18	चेक सं0.651572 / 14.05.12	08.08.12	11000.00	मास्टर ट्रेनर(जनसंख्या 2011
19	चेक सं0. 075124 से 075128 / 17.11.12	22.12.12	15000.00	शिक्षक नियोजन हेतु
20	चेक सं0.53520 / 30.03.12 (सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	24.04.12	405000.00	कबीर अन्त्येष्टि
21	चेक सं0.005878 / –	26.07.12	1012500.00	
22	चेक सं0.004760 / 04.02.13 (ऐक्सिस बैंक)	09.02.13	1147500.00	
23	चेक सं0.004735 / 04.02.13 (ऐक्सिस बैंक)	09.02.13	540000.00	
	कुल योग		167098993.00	

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) नगर निगम के द्वारा अनुदान पंजी का संधारण समुचित ढंग से नहीं किया गया था इसमें वर्ष 2012–13 में 13वीं वित्त में प्राप्त सेण्ट्रल बेसिक ग्रान्ट, एस.जे.एस.आर.वाई इत्यादि मदों की प्रविष्टि नहीं

228

किया गया था तथा सभी मदों के जिसकी प्रविष्टि की गई थी, के प्राप्ति को एक साथ जोड़कर किसी भी मद के व्यय को उसमें से घटाया गया था। इस प्रकार अनुदान पंजी में सभी मदों के मदवार प्राप्ति एवं व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई थी। इस कारण मदवार प्रारम्भिक शेष, कुल प्राप्त अनुदान एवं 31.03. 13 के अन्तशेष को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(ख) उपवर्णित क्र0सं0 08 पर, पथ के निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹9894311.00 का अनुदान प्राप्त हुआ था लेकिन पी.एल. रोकड़ बही के नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि इस मद के अनुदान में से ₹8212278.00 (बिल सं0. पी. 2217031930103) एवं ₹98943.00 (बिल सं0. पी. 2217037960101) को मिलाकर कुल ₹8311221.00 ही कोषागार खाता में जमा किया जा सका तथा अवशेष राशि ₹1583090. 00 (₹9894311.00– 8311221.00) व्यपगत या वापसी हो गया। इस प्रकार नगर निगम वर्ष 2012–13 में ₹1583090.00 के अनुदान प्राप्ति के लाभ से वंचित रहा और इसके फलस्वरूप इससे होने वाले जनहित कार्य नहीं हो सका।

(ग) कबीर अन्त्येष्टि योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 में (उपर्युक्त वर्णित क्र0सं0 20 से 23 पर) कुल ₹3105000.00 प्राप्त हुआ था जिसे कोषागार खाता से अलग इलाहाबाद बैंक (बचत खाता सं0. 50103553559) में जमा किया गया था।

(घ) उपर्युक्त अनुदान व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उपर्युक्त अंकेक्षण आपत्तियों का नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि अनुदान पंजी का संधारण नगर निगम में पूर्व से है अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में तदनरूप सुधार किया जा रहा है।

अतः उपर्युक्त वर्णित अंकेक्षण आपत्तियों का अनुपालन, पथ के निर्माण/जीर्णोद्धार के अनुदान के व्यपगत/वापसी राशि ₹1583090.00 की पुनः प्राप्ति के लिए नगर निगम के द्वारा प्रयास करने के साथ साथ अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र सरकार को भेजा जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

10. निधि का अवरोधन– ₹1084.96 लाख

यद्यपि अनुदान पंजी का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था तथा पी.एल.खाता रोकड. बही में प्रारम्भिक शेष का मदवार वर्गीकरण, मासिक आय व्यय विवरणी, वर्ष के अंत में आय व्यय का शीर्षवार संक्षिप्त सार तैयार नहीं की गई थी जिसके कारण कुछ मदों का अवरोधन ज्ञात नहीं किया जा सका तथापि पी.एल. खाता, अन्य मदों के रोकड बहियों एवं पिछले अंकेक्षण आपत्ति के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुछ मदों के अनुदानों सहित कुल प्राप्ति में से वर्ष 2012–13 में या तो व्यय काफी कम या फिर कुछ भी नहीं किया गया था अर्थात अनुदानों को अवरूद्ध करके रखा गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–।।। पर)

अनुदानों को कम खर्च करना या फिर पूर्णतः अवरूद्ध करके रखना यह दर्शाता है कि इन मदों से व्यय करने के प्रति नगर निगम काफी उदासीन था तथा इससे इन मदों के विशिष्ट उददेश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके लिए अनुदान प्रदान की गई थी

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में राशि खर्च की जा रही है।

अतः मदों के अनुदानों के राशि को उसकी मापदण्ड के अनुसार यथाशीघ्र खर्च की जाय ताकि उसके उददेश्यों की पूर्ति हो सके जिसके लिए प्राप्त किया गया था।

11. प्रशासनिक भवन की राशि का खर्च नहीं होना– ₹30.29 लाख

वित्तीय वर्ष 2008–09 में नगर परिषद (वर्तमान में नगर निगम), मुंगेर को प्रशासनिक भवन एवं तकनीकी भवन के जीर्णोद्धार हेतु ₹3625200.00 की प्राप्ति हुई थी (नगर विकास विभाग के ज्ञापांक 5ब/प्रा0भ02–02/07 06/न0वि0एवं आ0वि0 दिनांक 09.02.09)।

इसके बाद अंकेक्षण अवधि (वर्ष 2012–13) में ₹6.75 लाख की पुनः प्राप्ति निर्मित प्रशासनिक भवनों के जीर्णोद्धार हेतु हुई (ज्ञापांक 6ब–95/न0विवि0 दिनांक 14.03.13)। उपर्युक्त प्राप्त राशि को निगम के पी0एल0 खाता में जमा किया गया। अनुदान के साथ सरकार द्वारा कुछ दिशानिर्देश दिए गए थे जो इस प्रकार है–

(क) योजना का कार्यान्वयन संबंधित निकाय द्वारा कराया जाएगा एवं जिसकी निगरानी जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) योजनाओं का कार्यान्वयन ई0 टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।

(ग) कंक्रीट से संबंधित कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए सामग्री का क्युब टेस्ट पथ निर्माण विभाग के प्रयोगशाला में कराकर विपत्र के साथ लगाया जाएगा। दिसम्बर 2012 को सरकार को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच में पाया गया कि प्राप्त राशि में से मात्र 12.71 लाख खर्च किया गया एवं शेष राशि ₹30.29 लाख (23.54+ 6.75) अवशेष के रूप में अवयवहृत पड़ी थी।

सामान्तया अनुदान राशि को प्राप्ति वर्ष के अंततक पूर्ण खर्च कर उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को उपलब्ध करा देना चाहिए। अनुदान राशि का अग्रेषण नहीं होना चाहिए। लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी राशि का अंशतः खर्च की गई।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि नगर निगम में कई महीनों तक कर्मियों का हड़ताल, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच झंझट, मुकदमा एवं नगर निकाय चुनाव के कारण राशि खर्च नहीं की जा सकी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में खर्च कर ली जायेगी।

अतः प्रशासनिक भवन की राशि ₹30.29 लाख को यथाशीघ्र खर्च की जाय एवं इसकी उपयोगिता प्रमाण सरकार को भेजा जाय।

226

12. बी.आर.जी.एफ मद से विचलन– ₹1.04 लाख

बी.आर.जी.एफ मद से संबंधित दिषा निर्देशानुसार इस योजना मद से नागरिक सुविधा यथा सड़क नाली पेयजल एवं सामुदायिक भवन निर्माण इत्यादि का उन योजनाओं का कार्यान्वयन करना था जो नगर निगम बोर्ड द्वारा अनुशंसित एवं जिला योजना समिति के द्वारा पारित हो।

बी.आर.जी.एफ मद के वर्ष 2012–13 की रोकड. बही के नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि इस मद से हैण्ड ट्रॉली (₹103642.00, चेक सं0. 054723 दिनांक 11.12.12, अभिश्रव सं0.18/11.12.12) मेसर्स माइक्रोटेल इन्फोसिस तोपखाना बाजार, मुंगेर से क्रय किया गया था, जो बी.आर.जी.एफ मद के दिशानिर्देश के विरूद्ध था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि बी.आर.जी.एफ मद से पूर्व में ट्रॉली खरीद कर ली गई है उक्त विचलन को 13वीं वित्त (ठोस अवशिष्ट प्रबंधन) से प्रतिपूर्ति की कार्रवाई की जा रही है।

अतः बी.आर.जी.एफ मद से विचलन कर व्यय की गई राशि ₹103642.00 की भरपाई करने तक इसे अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

13. राजस्व की राशि की चोरी– ₹1.53 लाख

कर संग्रह की राषि रोकड.पाल द्वारा प्रतिदिन चालान के माध्यम से पी.एल.खाता में जमा की जाती है। पी.एल.खाता से सबंधित रोकड़ पंजी (पृष्ठ सं0/130) में दर्ज टिप्पणी से यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 19.12.12 को नगर निगम, मुंगेर के रोकड़पाल श्री विजय कुमार साह द्वारा कर संग्रह की राशि ₹363466.00 को जमा करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, बड़ी बाजार मुंगेर में लाईन में खड़ा था जिसमें से जेबकतरा द्वारा राशि ₹152700.00 की चोरी कर ली गई एवं उनके द्वारा मात्र ₹210766.00 ही जमा किया जा सका। इस संबंध में उनके द्वारा कोतवाली थाना मुंगेर में प्राथमिकि दर्ज की गई (संख्या 322/19.12.12)।

बिहार वित्त नियमावली 2005 के खंड–। के नियम 31 के अनुसार विभागीय राजस्व के गबन, हानि या चोरी की अविलम्ब सूचना वित्त विभाग को दी जानी चाहिए थी।

उक्त नियमावली के नियम 34 के अनुसार हर सरकारी सेवक को पूरी तरह से साफ– साफ समझ लेना चाहिए कि उसके छल कपट या असावधानी के कारण हुई हानि के लिए वह हद तक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

नियम 24 के अनुसार रोकड़पालों जिनसे नगद राषि की अभिरक्षा या जिम्मेदारी सौंपी जाय उनसे जमानत (प्रतिपूर्ति) मांगी जाय।

उक्त नियमों की अनदेखी निगम कार्यालय द्वारा की गई। कार्यालय प्रधान द्वारा इसमें व्यक्तिगत रूचि लेते हुए मामले की जांच विभाग के स्तर पर की जानी चाहिए थी एवं कार्यालय द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए थी।

वित्तीय नियमावली के नियम 32 के अनुसार विभागीय छानबीन करने के बाद सविस्तार रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए कि किन परिस्थितियों में हानि, गबन या चोरी हुई। इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन– कौन से उपाय किए जायें।

इस प्रकार राजस्व की चोरी की घटना को निगम कार्यालय द्वारा हल्के ढंग से लिया गया प्रतीत होता था तथा साथ ही वित्तीय नियमावली की अनदेखी परिलक्षित होती है।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि वर्ष 1864 में नगर परिषद मुंगेर का गठन हुआ। 26 नवम्बर 2011 में नगर निगम की अधिसूचना हुई। यहां गली– गली में चोर पॉकेटमार हैं। स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों में कई बार आम जनता एवं सरकारी कर्मियों के बैग से ब्लेडिंग कर राशि की चोरी हुई है। इस घटना में नगरकर्मी की संलिप्तता है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन लापरवाही स्पष्ट है। निगम स्तर से उक्त कर्मचारियों पर कार्यवाई की जा रही है। क्योंकि ये संदेह के दायरे में है।

अतः इस संबंध में उच्चतर प्राधिकारी के द्वारा जांच किये जाने व विधिसम्मत कार्यवाई करने तक उक्त राशि ₹152700/ को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

14. टिन टिकट के कय पर व्यर्थ व्यय–रू. 0.44 लाख

लेखापाल रोकड़ बही की वर्ष 2012–13 की अवलोकन से ज्ञात हुआ कि टिन टिकट के कय (चेक सं0. 836110, अभिश्रव सं0. 619, दिनांक 26.12.12 के द्वारा) पर ₹44200.00 का व्यय किया गया था, जिसका उपयोग एवं उपयोगिता के बारे में अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

अंकेक्षण के द्वारा इस पर आपत्ति किये जाने के बाद नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि टिन टिकट कय एवं वसूली राशि में गड़बड़ी हुई है तत्कालीन प्रधान लिपिक श्री भुपाल पंडित के उपादान की राशि से गड़बडी की गई राशि वसूली कर ली गई है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।

अतः टिन टिकट कय पर की गई गड़बड़ी राशि ₹44200.00 (वर्ष 2012–13) की यदि वसूली/भरपाई जिम्मेदार व्यक्ति से कर ली गई है या की जानी है को अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। अगले अंकेक्षण दल को राशि ₹44200 जमा दिखाये जानेतक ₹44200 को अंकेक्षण आपत्ति के अन्दर रखा जाता है।

15. अनियमित व्यय– ₹0.42 लाख

नगर निगम कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव के नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2009–10 में दुर्गा पूजा के विसर्जन में स्टेज एवं लाइटिंग हेतु प्रस्तुत विपत्र (मूल्य ₹52544.00) को पारित कर कुल ₹42000.00 (अभिश्रव सं0 695/12–13, दिनांक 12.01.13) अनियमित भुगतान किया गया था।

224

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार निगम के निधि का उपयोग नागरिकों के सुविधाओं हेतु किया जाना है जबकि संबंधित विपत्र दुर्गा पूजा के विसर्जन में स्टेज एवं लाईटिंग का था।
2. वर्ष 2009–10 में दुर्गा पूजा के विसर्जन में व्यय की गई राषि का भुगतान लगभग 03 वर्षों बाद 2012–13 में किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि यह तथ्य की भूल है। खर्च 2012–13 से संबंधित है। जिला प्रशासन के निर्देश पर रोषनी आदि की व्यवस्था, दुर्गा पूजा के विशेष अवसर पर बोर्ड निर्णय के आलोक में राशि खर्च की गई है। वर्ष 2009–10 के किसी अभिश्रव का भुगतान 2012–13 में नहीं हुआ है।

अनुपालन मान्य नहीं है क्योंकि नगरपालिका अधिनियम 2007 के आलोक में वित्तीय औचित्यता का पालन नहीं किया गया था।

अतः उपरोक्त अनियमित व्यय ₹42000.00 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

16. संविदा पर मानदेय कर्मी पर अनियमित भुगतान– ₹1.41 लाख

लेखापाल रोकड. बही (पी.एल. खाता) के वर्ष 2012–13 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर निगम के द्वारा संविदा पर मानदेय कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनको मानदेय भुगतान किया गया था, निम्न है।

क्र.सं0	नाम एवं पद	चेक सं0	अभिश्रव सं0	तिथि	राशि	अभियुक्ति (वेतन)
1	मो0 मोइनउद्दीन, जे.सी.बी चालक	757241	02	19.04.12	5000.00	मार्च 12
		757308	111	02.06.12	3833.00	अप्रैल 12
		757378	225	21.08.12	11774.00	मई 12 से जुलाई 12
		757400	242	21.09.12	5000.00	अगस्त 12
		836002	433	01.11.12	5000.00	सित0 12
		836088	578	22.11.12	5000.00	
		836136	682	10.01.13	9167.00	नव0 12 एवं दिस0 12
		—	776	07.03.13	6226.00	जन0 13 एवं बाकी वेतन (दिस0 12)
		836198	791	16.03.13	1929.00	फर0 12
		योग			52929.00	
2.	कंचन शर्मा, कंप्युटर आपरेटर	835936	315	12.01.12	3500.00	जुलाई 12
		836057	529	08.11.12	10500.00	अगस्त 12 से अक्टू0 12
		836123	663	07.01.13	5871.00	नव012 से दिस0 12
		—	772	07.03.13	2323.00	जन0 13 (16 दिन)
		योग			22194.00	
3.	सुबोध कुमार मिश्रा	836164	733	22.01.13	32333.00	सित0 12 से अक्टू012
		836165	747	22.01.13	3356.00	सित0 05 से अक्टू 05
		—	772	07.03.13	10000.00	जन0 13
		योग			45689.00	

4.	रवीन्द्र प्रसाद सहायक लेखापाल	836165	734	22.01.13	9196.00	दिस012
			772	07.03.13	10965.00	जन013
		योग			20161.00	
कुल योग					140973.00	

उपरोक्त मानदेयकर्मी मो0 मोइनउद्दीन जे.सी.बी चालक को ₹5000.00, श्री कंचन शर्मा, कंप्युटर आपरेटर को ₹3500.00, श्री सुबोध कु0 मिश्रा को ₹10000.00 एवं श्री रविन्द्र प्रसाद, सहायक लेखापाल को ₹10965.00 प्रति माह के दर से मानदेय पर नगर निगम द्वारा रखा गया था।

अंकेक्षण आपत्ति

नगर निगम के द्वारा उपर्युक्त सभी मानदेयकर्मी की नियुक्ति हेतु अनुमति कार्मिक व प्रशासनिक विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा वेतन्न निर्धारण हेतु वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त नहीं की गई थी।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि मानदेयकर्मी की नियुक्ति बोर्ड की अनुशंसा प्राप्त कर कार्यालय कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पूर्व में किया गया है। ऐसा एक दो मामला ही है।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि मानदेयकर्मी के वेतन/मानदेय के निर्धारण हेतु संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर भुगतान किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया था।

अतः मानदेयकर्मी पर वर्ष 2012–13 में किए गए वेतन/मानदेय की भुगतान राशि ₹140973.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है जबतक कि संबंधित विभाग से उनके वेतन/मानदेय निर्धारण हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं कर ली जाती है।

17. बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन में कम वसूली

बिल्डिंग प्लान के अनुमोदित विपत्र एवं संचिका के नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि बिल्डिंग प्लान के नक्शा पारित करने हेतु नगर निगम बोर्ड के द्वारा अनुमोदित दर से कम पर गृहमालिक से वसूली की गई थी। बिल्डिंग के नक्शा से स्पष्ट था कि कुछ गृह का जमीन तल (ग्राउण्ड फ्लोर), प्रथम से लेकर द्वितीय तल तक का था, लेकिन उनको सिर्फ प्लींथ एरिया पर ही वसूली की गई थी जबकि ग्राउण्ड फ्लोर का दर एवं ग्राउण्ड से उपर फ्लोर के दर अलग– अलग अनुमोदित था।

(विस्तृत विवरणी परिषिष्ट– IV पर)

इस प्रकार ₹7354.00 की कम वसूली गृह मालिकों से की गई थी।

अंकेक्षण टिप्पणी

1. नगर निगम के द्वारा आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार व समर्पित की गई बिल्डिंग प्लान को नगर निगम के द्वारा अपने स्तर से जांच नहीं किया गया था। किसी भी बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन एवं संचिका में

जांच प्रतिवेदन की कॉपी का साक्ष्य नहीं पाया गया था। जिसके कारण विचलन एवं अप्राधिकृत निर्माण इत्यादि के बारे में पता नहीं चल सका।

2. दण्ड का कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं था।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जायेगी।

अतः उपरोक्त कम वसूली की राषि ₹7354.00 की वसूली जिम्मेदार व्यक्तियों से की जाय एवं नगर निगम के द्वारा अनुमोदित बिल्डिंग प्लान से विचलन एवं अप्राधिकृत निर्माण को पता लगाने के लिए अपने स्तर से भौतिक जांच की जाय एवं इसके लिए आवश्यक दण्ड का भी प्रावधान की जाय।

18. कम जमा/नहीं जमा– ₹23083

नगर निगम, मुंगेर के विविध/होल्डिंग रसीद बुकों, दैनिक संग्रह पंजी तथा रोकड़पाल रोकड़ बही के मिलान के क्रम में पाया गया कि इन रसीद बुकों के माध्यम से वसूली की गयी राशि ₹199751.00 को निगम कोष में जमा नही किया गया था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–v पर)

लेखापरीक्षा के दौरान रू. 177668.00 संबंधित व्यक्तियों से निगम कोष में जमा कराया गया, निम्न प्रकार से है–

क्र.सं.	कुल संग्रहित राशि	जमा की गई राशि		संबंधित व्यक्तियों का नाम
		विविध रसीद सं0	राशि	
1	1110.00	5547/20.04.13	1110.00	गणेष प्रसाद सिंह
2	55109.00	5866/02.05.13	55109.00	दिनेष कुमार
3	64515.00	5867/02.05.13	64515.00	राहुल कुमार
4	1050.00	5869/02.05.13	1050.00	रामोतार प्रसाद
5	2266.00	5865/02.05.13	2266.00	अमित कुमार
6	68994.00	5945/10.05.13	50944.00	
7	2674.00	5946/10.05.13	2674.00	
कुल	195718	योग	177668.00	

अंकेक्षण आपत्तियों के जवाब दिया गया कि आपत्ति की गई राशि के विरूद्ध अंकेक्षण के दौरान जमा करायी गई तथा शेष बची राशि को जमा करवा ली जायेगी।

अवशेष राशि ₹23083.00

दिनेश कुमार, रोकड़पाल	1000.00
अमित कुमार, टैक्स दारोगा	15784.00
विजय साह, तहसीलदार	1700.00
सुमित कुमार, तहसीलदार	2334.00
जयप्रकाश कुशवाहरा, तहसीलदार	2265.00
योग	23083.00

सम्बन्धित एवं जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूलकर निगम कोष में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

19. सरकारी भवनों पर बकाया किराया – ₹998.14 लाख

यद्यपि नगर निगम के द्वारा क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सरकारी भवनों का मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। तथापि कार्यालय के द्वारा कुल 47 सरकारी भवनों का बकाया राशि की सूची उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार विभिन्न सरकारी भवनों पर 31.03.13 तक कुल राशि ₹99813747.80 का बकाया था, जो लम्बी अवधि से बकाया राषि का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(1) बकाया किराया की वसूली हेतु उठाये गये कदम से न तो लेखापरीक्षा को अवगत कराया गया और न ही मांग एवं वसूली पंजी लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया ।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में नगर निगम के द्वारा जवाब दिया गया कि बकाया की वसूली की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

अतः नगर निगम के द्वारा सरकारी भवनों के बकाये किरायें की वसूली ₹99813747.80 के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए जिससे की निगम के स्वयं के स्रोतों से आय में वृद्धि हो सके तथा आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही इसके मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध प्रस्तुत किया जाय।

20. विभिन्न दुकानों पर बकाया किराया– ₹10.36 लाख

नगर निगम के अंतर्गत स्थित दुकानों से संबंधित कोई मूल अभिलेख, मांग एवं वसूली पंजी आदि का संधारण नहीं किया गया था। मांग एवं वसूली पंजी के जगह सिर्फ कम्प्युटर से प्रिंट किये गए दुकानों की विवरणी था, जिसे वैद्य दस्तावेज कहा जा सकता है। वैद्य अभिलेख संधारित नहीं किये जाने की स्थिति में दुकानों से वसूली पूर्णतः वसूलीकर्ता पर निर्भर था। मांग एवं वसूली पंजी के अभाव में निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल दुकानों की संख्या, कुल मांग, वसूली एवं बकाया के बारे में सुनिष्चित नहीं किया जा सका।

कार्यालय द्वारा कुल 09 मार्केटों के कुल 169 दुकानों की सूची अंकेक्षण में उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार दिनांक 31.03.13 तक कुल ₹877060.00 का बकाया था, निम्न प्रकार से है–

क्र0सं0	मार्केट का नाम	दुकानों की संख्या	बकाया राशि (दिनांक 31.03.13)
1	राजा बाजार मार्केट	17	145750.00
2	ओम प्रकाष मार्केट	24	173100.00
3	ललित नारायण मार्केट	27	154700.00
4	कौड़ा मैदान मार्केट	17	10050.00
5	कर्पूरि मार्केट	08	12840.00
6	नगर निगम कैम्पस	08	88700.00
7	राजा बाजार मार्केट	20	77340.00